# न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवरलाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

**अपील एल.आर. संख्या 144/2021 जिला–नागौर**

हबीब खां पुत्र हमीद खां जाति कायमखानी निवासी लाडनू तहसील लाडनू जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

## बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडनू जिला नागौर।

–––प्रत्यर्थी

2. मुस्ताक खां पुत्र ईनायत खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड नम्बर 12 शहरिया बास लाडनू जिला नागौर।
3. गुलशन बानों पुत्री ईनायत खां पत्नी गफूर खां जाति कायमखानी निवासी ईदगाह के सामने वाली गली बडा बास लाडनू तहसील लाडनू जिला नागौर।

––––तरतीबी प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना दिनांक 22–7–2021
अन्तर्गत अपील संख्या 61/2020
बउनवान हबीब खां बनाम राजस्थान सरकार

————

उपस्थित–
1. श्री समीर अहमद ,अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थी
3. श्री हसन खां तरतीबी प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3

## निर्णय

दिनांकः– 07–06–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हलका लाडनू ने अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार लाडनू को रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि अपीलार्थी ने मौजा ग्राम लाडनू के खसरा नम्बर 533 रकबा 4.1844 हैक्टर किस्म गै0मु0 अंगौर भूमि पर कब्जा कर काश्त /बाड़ा/मकान बनाकर राजकीय भूमि

पर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया गया। पटवारी हलका की उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदर, लाडनू ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस तलब किया। और विवादित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमी की श्रेणी में पाया गया। तहसीलदार लाडनू ने अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए मौजा लाडनू के खसरा नम्बर 533 रकबा 4.1844 हैक्टर गै0मु0 अंगौर भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये तथा वार्षिक लगान दर 0.45 रूपये प्रतिबीघा से अतिक्रमित क्षैत्रफल का लगान 11.6325 रूपये के 50 गुना से जुर्माना 582/– रूपये कायम किये गये। तहसीलदार, लाडनू के आदेश दिनांक 15–10–2020 के विरूद्ध अपीलार्थी ने एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत की परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28–10–2020 के द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया कि प्रकरण में अभी अधीनस्थ न्यायालय क अभिलेख आना शेष है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को सुने बिना अंतरिम स्थगन आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 17–11–2020 नियत कर दी। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 28–10–2020 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी याचिका प्रस्तुत की जिसे राजस्व मण्डल द्वारा अपनेआदेश दिनांक 4–12–2020 को निर्णित करते हुए अपील के विचाराधीन रहने तक अपीलार्थी को बेदखल नहीं किये जाने का आदेश पारित कर दिया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने आदेश दिनांक 22–7–2021 द्वारा अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22–7–2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस ओर ध्यान नहीं दिय कि विवादित आराजियात पर अपीलार्थी व अपीलार्थी के पूर्वज लगभग 65–70 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा मौके पर उक्त कब्जा शुदा भूमि में एक पुराना पानी का कुण्ड बना हुआ है तथा उक्त आराजी क चारो तरफ पक्की मेड बन्दी होरखी है तथा रहवासी ढाणी बनी हुई है जिसमें अपीलार्थी का परिवार निवास कर रहा है परन्तु हलका पटवारी ने रंजिशवश गलत कथनों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे सही मानकर अपलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश पारित कर दिया। अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना ने भी अपीलार्थी की अपील खारिज कर अपीलार्थी को बेदखल किये जाने के आदेश पारित कर दिये जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि तहीलदार के समक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 का प्रकरण दर्ज किये जाने के बाद अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 जा0दी0 का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 533 बाबत अपीलार्थी की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 10–7–2020 को दर्ज होकर सुनवाई शुरू हो चुकी है इसलिए नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाही स्वतः ही खारिज योग्य है परन्तु उसे बावजूद भी तहसीलदार लाडनू ने आदेश दिनांक 15–10–2020 द्वारा अपीलार्थीको अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने का विधिविरूद्ध आदेश पारित कर दिया तथा अपीलीय न्यायलय के समक्ष भी अपीलार्थी ने उपरोक्त तथ्यों को अपील में एवं बहस के दौरान निवेदन किये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी के विरूद्ध विधिविरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजियात बाबत पूर्व से ही नानी बाई बेवा हमीद खां अर्थात अपीलार्थी की मां द्वारा पूर्व से ही खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गयाथा जो ईनायत के वारिसान व हमीद खां के वारिसान की ओर से किया गय था उसके साथ भी धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए दिनांक 7–6–2005 को विवादित आराजियात क बाबत अपीलर्थी तहसीलदार लाडनू को पाबन्द किया गया था कि उपरोक्त भूमि के बाबत मूल वाद के निस्तारण तक वादीगण को ना तो बेदखल करे और ना ही कोई अन्य से करवाए और उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील किसी भी न्यायालय के समक्ष नहीं की गई अर्थात उक्त निर्णय अंतिम हो गया परन्तु उसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया एवं उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायलय ने भी अपील खारिज करने का आदेश पारित कर दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार के समक्ष धारा 10 जा0दी0 का प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया था कि उपखण्ड अधिकारी लाडनू के समक्ष इसी खसरा नम्बर को लेकर एक वाद प्रस्तुत किया गया था तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो 94/2002 जो नानी बाई बनाम राज्य सरकार के रूप में दर्ज था जिसका निर्णय दिनांक 7–6–2005 को कर दिया गया जिसक विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई उक्त समस्त कथन अंकित किये जाने के बावजूद भी धारा 10 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया।

उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजियात बाबत अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के पूर्वजों का वाद विचाराधीन है जिसमें इसी भूमि के बाबत स्थगन आदेश कन्फर्म हो रखा है उसके बावजूद भी अपीलार्थी को विवादित आराजियात से बेदखल किये जाने की

कार्यवाही की जा रही है इसलिए ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की पालना को स्थगित रखा जाना न्यायिक एव आवश्यक है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2021 एवं तहसीलदार लाडनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–10–2020 में अंकित आराजियत बाबत मूल वाद के निस्तारण तक यथावत स्थिति बनाए रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि तहसीलदार, लाडनू द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश दिनांक 15–10–2020 को पारित किये है जो सही है। उपखण्ड अधिकारी, लाडनू द्वारा अपीलार्थी के हक में दिनांक 7–6–2005 को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिसमें अपीलार्थीगण को खसरा नम्बर 533 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि से बेदखल नहीं करने के आदेश है तथा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान को सुनकर उनके समक्ष लम्बित अपील को दो माह में निस्तारित करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर टाईटल तय करावे। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–7–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पटवारी हलका लडनू के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक लाडनू को जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसमें अपीलार्थी ने मौजा सरहद लाडनू के खसरा नम्बर 533 रकबा 4.1844 हैक्टर किस्म गै0मु0अंगौर भूमि सम्पूर्ण पर सम्वत् 2077 से पूर्व अनाधिकृत कब्जा कर काश्त/बाड़ा/मकान बनाकर कब्जा कर रखा है एवं अतिक्रमियों को अतिक्रमी मानकर उक्त विवादित आराजियात में से बेदखल करने हेतु निवेदन किया गया। पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदर लाडनू ने प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थीगणों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धार 91 के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया। पटवारी हलका लडनू एवं भू–अभिलेख लाडनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 533 गै0मु0अंगौर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसलिए अपीलार्थीगण का खसरा नम्बर 533 गै0म0अंगौर पर अवैध रूप से अतिक्रमण होना साबित होता है जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आने के कारण अपीलार्थी को अतिक्रमी माना जाकर विवादित आराजियात से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना ने अपने निर्णय में उल्लेखित किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का विवाद राज्य सरकार व अपीलार्थी के बीच का है। धारा 91 की कार्यवाही में कोई अधिकार या स्वत्वों का निर्धारण नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण किसी आवंटन एवं नियमन के आदेश की अपील नहीं होकर अतिक्रमण करने पर बेदखली करने का है। पटवारी हलका लाडनू की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, लाडनू द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुए धारा 91 के तहत् नोटिस जारी किया गया तथा अतिक्रमण स्पष्ट होने से दिनांक 15–10–2020 से उपरोक्त अतिक्रमित खसरा नम्बर 533 रकबा 4.1844 हैक्टर किस्म गै0मु0अंगौर भूमि सम्पूर्ण रकबे से बेदखल करने व जुर्माना कायमी का आदेश पारित किया गया। इस आदेश की पालना दिनांक 29–10–2020 को पटवारी हल्का द्वारा कर दी गई है चूंकि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि बाबत खातेदारी घोषणा का नियमित वाद उप खण्ड अधिकारी लाडनू के न्यायालय में दायर कर रखा है जो विचाराधीन है जिसमें वांछित अनुतोष प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति पूर्व में हो चुकी है, के कारण अपीलाधीन आदेश को स्थगित करने अथवा कार्यवाही रोकने का कोई न्यायिक औचित्य नहीं है परिणाम स्वरूप अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकर से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–7–2021 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 61/2020 बउनवान हबीब खां बनाम सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07–06–2022 का खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(भंवर लाल मेहरा)**
**संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**